

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 1 जून 2019—ज्येष्ठ 11, शक 1941

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जून 2019

क्र. एफ 2-7-2018-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 101 के तहत मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के प्रावधानों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के प्रतिकक्ष में अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 23 मार्च 2019 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा अधिसूचना की अनुसूची-एक में सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक) की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गई विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:—

अनुसूची “एक”

(1) सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अलका श्रीवास्तव, सचिव.

## अनुसूची "दो"

## विभाग का नाम—सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक)

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6%)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिमार्क
					दृष्टि बाधित (कम दृष्टि) (1.5%)	श्रवण बाधित (कम सुनने वाले) (1.5%)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है (कुष्ठ रोग मुक्त, बोनापन, एसिड अटैक पीडित) (1.5%)	बहुविकलांगता (केवल कॉलम क्रमांक 6, 7 एवं 8 में अंकित श्रेणियों को शामिल कर) (1.5%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
द्वितीय श्रेणी	डिप्टी कलेक्टर	436	436	26	07	06	07	06	26	
	योग . .	436	436	26	07	06	07	06	26	